


कार्यालय, जिलाधिकारी, बस्ती

पत्रांक-मु0चि0अ0/तम्बाकू/2020-21/ 22282

दिनांक 18 फरवरी 2021

कार्यालय आदेश


राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कोटपा एक्ट 2003 के अन्तर्गत जनपद में हो रहे बस्ती महोत्सव में सिगरेट एवं तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिशोध और व्यपार एवं वणिज्य, उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनिमय) की धारा-4 के अन्तर्गत जनपद में हो रहे बस्ती महोत्सव को मुक्त/धूमपान मुक्त घोषित किया जाता है महोत्सव में कोटपा एक्ट 2003 का उल्लंघन पाये जाने पर सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की जाएगी। इस आशय का साइनेज लगाया जाए।


जिलाधिकारी
बस्ती।
तद् दिनांक

पत्रांक- मु.चि.अ.0/तम्बाकू/2020-21/ 22283-90

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं 30प्र0 लखनऊ।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 30प्र0।
3. जिलाधिकारी, बस्ती।
4. मुख्य विकास अधिकारी, बस्ती।
5. राज्य एन0सी0डी0 सेल, 30प्र0 लखनऊ।
6. जिला एन0सी0डी0 प्रकोष्ठ बस्ती।
7. जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, एन0एच0एम0, बस्ती।
8. उत्तर प्रदेश वोलेंटरी हेल्थ एसोसियेशन, लखनऊ को इस आशय से कि उक्त कार्यशाला में सहयोग हेतु।


जिलाधिकारी
बस्ती।